संक्षिप्त

9 सिलेंडर सीज

कोटपूतली। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के मामलों पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहे अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी शशिशेखर शर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह एवं प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान नारायणपुर कस्बे में विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 16 घरेलू एलपीजी सिलेंडर सीज किए गए। यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई हेतु जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बाबूलाल टी सेंटर 1, राजस्थान स्वीट्स नारायणपुर 2, राहुल बर्गर सेंटर 1, सैनी चाट भंडार 2, माँ शेरा वाली चाट से 1, माँ भगवती चाट भंडार 1 और शिव चाट भंडार से 1 सिलेंडर सीज किए गए।

शोभायात्रा 20 को

लालसोट। ब्राह्मण समाज लालसोट के तत्वावधान में 20 अप्रैल को भगवान भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभायात्रा एवं कलशयात्रा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर समाज में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम के तहत परशुराम मंदिर से विशाल कलशयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेंगी। इसके पश्चात गाजे-बाजे और आकर्षक झांकियों के साथ भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। आयोजकों के अनुसार, शोभायात्रा में विभिन्न धार्मिक झांकियां, भजन मंडलियां और युवा वर्ग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, जिससे पूरा शहर भक्ति और उल्लास के रंग में रंगा नजर आएगा।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

निवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है एवं दो आरोपितों से अवैध देशी शराब के 113 पव्वे जब्त किए है। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव व डीवाईएसपी रविप्रकाश शमा के सुपरविजन में गठित दो टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए गावं डांगरथन से हनुमान बलाई निवासी ग्राम रम्भा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी शराब के 56 पव्वे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी प्रकार दूसरी टीम ने खणदेवत रोड पर कार्यवाही की। जिसके दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर अवैध शराब के पव्वों को मौके पर ही छोडकर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से अवैध देशी शराब के 57 पव्वे जब्त किए और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

सांभरझील। ग्राम हाचूकड़ा में संत देवानंद महाराज की 11 वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ शिव मंदिर की स्थापना की चतुर्थ वर्षगांठ के अवसर पर मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में जागरूकता रैली निकाली

भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने रैली को हरी झंडी दिखाई।

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी : लक्ष्मी रेला

दौसा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज आनंद शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद विद्यालय से गांधी तिराहे तक चेतना रैली निकाली गई। रैली को भाजपा ज़िलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रा गुप्ता एवं भाजपा ज़िलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने विद्यालय कि छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के नेतृत्वायाये स्थारित कर रहा है, महिलाओं को पूर्ण सम्मान, समान अधिकार और पूजनीतिक भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार नारी सक्रिय वंदन अधिनियम लेकर आई है। इस अर्विनियम के माध्यम से लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे मातृशक्ति को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। उन्होने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव महिलाओं के उत्थान आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण को सर्वोन प्राथमिकता दी है। विश्व पटल पर भारत मजबूत हुआ है।अब महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की राजनीति में नए युग की शुरुआतहुई है। नरेंद्र मोदी की इस पहल से महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण और देश की नीति निर्धारण में भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला कदम बताया।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं को नई ताकत मिल रही है। कार्यक्रम को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रा गुप्ता, नीलम गुजर, मंजूलता जाटव, किरण डोरिया ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक सरोज मीणा, सह संयोजक चंद्रकांता हरितवाल, मंजू साहू, लक्ष्मी व्यास, मिस्त्री देवी मीणा, ममता सैनी, भाजपा जिला महामंत्री विपिन जैन, दौसा मंडल अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरिवाल, नवीन शर्मा, मनीषा जैमन, भावना शर्मा, आशा गुप्ता, कमला शर्मा, सुमन अंदाना, विद्यालय प्रधानाचार्य माधुरी गुप्ता, उर्मिला मौर्या, गायत्री शर्मा, रजनी परेवा, अनिता शर्मा, चित्रा पालीवाल, संजना मीणा सहित बड़ी संख्या में छात्राएँ, महिलाएं, जनप्रतिनिधि व भाजपा पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आलीसर में 20 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण

विधायक डॉ. शिखा मील बराला ने सामुदायिक भवन का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया

चौमूं / कालाडेरा। चौमूं विधानसभा क्षेत्र के गाँव आलीसर में विधायक कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण विधायक डॉ. शिखा मील बराला द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विधायक ने भवन का निरीक्षण कर इसकी उपयोगिता एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया।

विधायक डॉ. शिखा मील बराला ने कहा कि यह सामुदायिक भवन क्षेत्रवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। इससे ग्रामीणों को अपने कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सामाजिक एकता को भी मजबूती मिलेगी। विधायक डॉ शिखा मील बराला ने कहा कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध हैं तथा जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने विधायक डॉ शिखा मील बराला का अभिनंदन कर इस जनहितकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान सरपंच प्रभु नारायण यादव, पश्चिमी ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज देवंदा, पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शर्मा, नगर अध्यक्ष सायरमल सैनी, मण्डल अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार मीणा, शंकर कुमावत, विष्णु जांगिड, मामराज मीणा, रघुनाथ मीणा, प्रकाश यादव, नरेन्द्र दायमा, सुरेश योगी, बंशी यादव, कैलाश यादव, कमल जैन सहित मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

'जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की होगी गणना'

- जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य 16 मई से होगा प्रारम्भ
- राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी को जारी की गई थी अधिसूचना

कोटपूतली। राज्य सरकार द्वारा विगत 21 जनवरी को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण का कार्य आगामी 16 मई से 14 जून के मध्य सम्पन्न करवाया जायेगा। स्व-गणना के लिये विकल्प भी 01 से 15 मई की समयावधि में संचालित किया जायेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुये बताया कि जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) को पूर्णत: डिजिटल और सहभागी बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक अभिनव पहल करते हुये 'स्व-गणना' (सेल्फ-इन्यूमरेशन) की सुविधा प्रदान की गई है। स्व-गणना (सेल्फ-इन्यूमरेशन) पोर्टल का उपयोग डेस्कटॉप अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से किया जा सकेगा। संबंधित पोर्टल का पता://...है। स्व-गणना सुविधा का उद्देश्य कार्यरत, व्यस्त अथवा सुविधा अनुसार स्वयं विवरण उपलब्ध कराने के इच्छुक परिवारों को डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी भरने का अवसर प्रदान करना है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि स्व-गणना किये जाने के उपरांत भी संबंधित प्रगणक द्वारा फील्ड स्तर पर सत्यापन एवं डाटा जांच की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संपादित की जायेगी।

स्व-गणना पोर्टल का उपयोग करते समय आमजन को ध्यान रखना होगा कि वे पोर्टल पर जाने के लिये निर्धारित वेब एड्रैस का उपयोग ही करें, किसी सर्च इंजन की सहायता से ना जायें, एचटीटीपीस तथा .गोव.इन पर विशेष ध्यान दें। लॉग इन करते समय आपके पास ओटीपी आयेगा उसे किसी से साझा न करें। स्व-गणना डेटा के सत्यापन के लिये आने वाले प्रगणक द्वारा भी आप से ओटीपी नहीं मांगा जायेगा। जनगणना विभाग द्वारा आपसे फोन पर या किसी अन्य माध्यम से कोई ओटीपी नहीं मांगा जायेगा ना ही कोई लिंक उपलब्ध करवाया जायेगा। जिसका प्रयोग कर सूचनाओं का सत्यापन किया जाना हो। स्वगणना हेतु एसई आईडी तथा ओटीपी संदेश के लिए ध्यान दें कि वे से प्राप्त होंगे। राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के फील्ड कार्य में करीब 01 लाख 60 हजार प्रगणक एवं पर्यवेक्षक, सम्पूर्ण राजस्थान में घर-घर जाकर जनगणना के अधिसूचित प्रश्नों के डेटा संग्रहण का कार्य करेंगें।

जनगणना मकानों एवं परिवारों की पहचान कर उनका व्यवस्थित सूचीकरण किया जायेगा। साथ ही प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर मकान की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधायें एवं परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, परिवार द्वारा उपभोग किये जाने वाले मुख्य अनाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जायेंगे। उपरोक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं के आंकड़े प्राप्त करने के साथ-साथ जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (एचएलओ) का उद्देश्य आगामी जनसंख्या गणना हेतु एक सम्यक एवं विष्वसनीय मास्टर फ्रेम तैयार करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान के शौर्य व बलिदान के इतिहास का अपमानः जूली

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम से राजस्थान इतिहास की चार महत्वपूर्ण पुस्तकों को हटाए जाने के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की विरासत पर सुनियोजित हमला करार दिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की यह संकीर्ण मानसिकता राजस्थान की आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से काटने का कुत्सित प्रयास है।

जूली ने कहा कि भाजपा ने राजस्थान के शौर्य और बलिदान के इतिहास का अपमान कर अपना असली चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कड़े शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा की यह डबल इंजन सरकार लगातार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर प्रहार कर रही है।

यह वही धरती है, जिसके कण-कण में साहस, त्याग, बलिदान और वीरता की अमर गाथाएं बसी हैं जो हमें गर्व, स्वाभिमान और पहचान देती हैं। लेकिन भाजपा सरकार आज उसी इतिहास को मिटाने की साजिश रच रही है।

कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की सुनी समस्या, मौके पर कराया समाधान

कोटकासिम के ग्राम बिलाहेडी में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की जनसुनवाई करते जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश।

- गांव बघाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे वहां व्यवस्थाओं को देख सुधार के निर्देश दिए

किशनगढ़ बास। कोटकासिम के ग्राम बिलाहेडी में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने चौपाल में बैठकर आमजन की समस्याओं सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात की ओर त्वरित समाधान के लिए निर्देशित करते हुए कहा कार्य की प्रति ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर की रात्रि चौपाल में नाम में शुद्धिकरण, बिजली, पानी, रास्ता सहित विभिन्न विषयों से जुड़े कुल 24 परिवाद प्राप्त हुए। प्रत्येक परिवाद पर जिला कलेक्टर ने सुनवाई करते हुए सम्बंधित अघिकारी से जवाब मांगा और निस्तारण के लिए समय तय कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक लंबित न रखा जाए और शीघ्र ही समाधान कर सूचित करें।

इस दौरान ग्राम नरवास में पानी की समस्या की शिकायत पर कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अधिकारी को गांव की वास्तविक स्थिति पता कर पानी की समस्या का निदान करने के निर्देश दिए। नाम में त्रुटि सुधार के आवेदन पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई कर महिला के नाम में शुद्धिकरण कराया जिस पर महिला ने कलेक्टर का आभार व्यक्त किया।

रात्रि चौपाल में विभिन्न विभागों से पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की वृद्धजन पेंशन योजना, आपकी बेटी योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडो योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर योजना एवं पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी देते हुए आमजन को आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराया। कृषि विभाग ने सरकार की तारबंदी योजना, फार्म पॉन्ड, प्याज भंडारण एवं अन्य योजनाओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियो के साथ देर रात में क्षेत्र के गांव बघाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औचक निरीक्षण किया और वहां पर मिल रही सुविधाओं को देखा। अधिकारी को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित करते हुए कहा स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

NAME CHANGE

I army no 2982043F Ex NAIK Jagdish singh resident of plot no 23 -24 Shyam Nagar II nadi ka phatak benar road jhotwara jaipur that i want to change name of my spouse from RANI ARCHANA DEVI To RANI DEVI vide affidavit dated 15 apr 2026 before district sub divisional magistrate Jaipur city north

खोया पाया

मेरे भूखंड सं.-184 मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना राज विहार-A सिरसी रोड जयपुर का समिति जारी मूल आवंटन-पत्र, साईट प्लान और सोसाइटी रसीद कही गुम हो गयी है सूचित करे- पार्वती कँवर मो. 8949410618

मेरे भूखण्ड संख्या A-59 जेडीए की योजना रोहिणी नगर 2 जयपुर का जेडीए से जारी मूल कब्जा पत्र कही खो गया है मिलने पर सूचित करें -सीमा शर्मा मो - 9968278162

नम्बर मिलाइए 9587884433

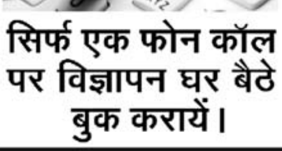

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी की सूचना

(आदेश 41 नियम 14)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

बजरंग लाल अग्रवाल विरूद्ध नागरिक सेवा समिति

अपील सं. 360 सन् 2019- मु. न. 35 /19 (1354/15) (390/13)

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश पश्चिम जयपुर महानगर जयपुर के न्यायालय की तारीख 18/10/2019 को बजरंग लाल अग्रवाल बनाम नागरिक सेवा समिति व अन्य

नाम नागरिक सेवा समिति, सैक्टर 7, विद्याधर नगर जयपुर कार्यालय श्री रोजगारेश्वर महादेव जरिये अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र जसोरिया निवासी प्लाट नं.307, सैक्टर 7, विद्याधर नगर जयपुर

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में.... अपील.... द्वारा प्रस्तुत उपस्थापित की गई है और न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय में तारीख 28 माह 04 सन् 2026 नियत की गई।

यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।

यह आज तारीख 25 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर के और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से
(मोहर अदालत) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक:- एफ-56 () सि० ला० जो० / ननिज / 2026/147 दिनांक:-16/04/202-6

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड संख्या 35 बजरंग कॉलोनी जयपुर का जविप्रा द्वारा दिनांक 07.03.2002 को श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रामजी लाल उपाध्याय के नाम से क्षेत्रफल 300.41 वर्गगज का पटटा जारी किया गया था। तत्पश्चात् श्रीगती कृष्णा देवी द्वारा जरिये पंजीकृत उपहार पत्र श्री प्रदीप उपाध्याय पुत्र श्री रामजी लाल उपाध्याय को कुल क्षेत्रफल 300.41 में से उत्तरी भाग क्षेत्रफल 150.20 वर्गगज उपहार दिया गया है। उक्त पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर श्री प्रदीप उपाध्याय पुत्र श्री रामजी लाल उपाध्याय को उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तानान्तरण के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सात दिवस में आपत्ति पेश करें अन्यथा सात दिवस पश्चात् उक्त भूखण्ड में नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक:- एफ-56 () सि० ला० जो० / ननिज / 2026/146 दिनांक:- 16/04/2026

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड संख्या 35 बजरंग कॉलोनी जयपुर का जविप्रा द्वारा दिनांक 07.03.2002 को श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रामजी लाल उपाध्याय के नाम से क्षेत्रफल 300.41 वर्गगज का पटटा जारी किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा जरिये पंजीकृत उपहार पत्र श्री राजेश उपाध्याय पुत्र श्री रामजी लाल उपाध्याय को कुल क्षेत्रफल 300.41 में से दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 150.20 वर्गगज उपहार दिया गया है। उक्त पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर श्री राजशे उपाध्याय पुत्र श्री रामजी लाल उपाध्याय को उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तानान्तरण के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सात दिवस में आपत्ति पेश करें अन्यथा सात दिवस पश्चात् उक्त भूखण्ड में नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे अभिभाष्य भगवान सहाय सैनी पुत्र श्योजीराम सैनी निवासी 23सी, कृष्णा एनक्लेव, गोविन्दपुरा, सांगानेर, जयपुर ने अपनी पुत्री कविता सैनी को उसके सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों के विरूद्ध किये गये कृत्यों से क्षुब्ध व व्यथित होकर अपने जीवन व अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है अब कविता सैनी व उससे सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति से मेरे अभिभाष्य व परिवारजन का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। कविता सैनी के द्वारा किये गये किसी भी कृत्य / सम्व्यवहार की जिम्मेदारी उसकी स्वंय की होगी, मेरा अभिभाष्य किसी प्रकार से जिम्मेदार व उत्तरदायी नही रहेगा।

भवदीय
दिनांक 17-04-2026 खेमचन्द सैनी एडवोकेट
जयपुर मो.नं.: 9351717175

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य कैलाश पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ भूरा, ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा, पोस्ट अवानिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 4668 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4669 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4670 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4671 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4672/7979 रकबा 0.1100 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी भूमि मेरे अभिभाष्य के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है, जिसे विक्रय व हस्तान्तरण करने के संबंध में संपूर्ण मालिकाना अधिकार मेरे अभिभाष्य को ही प्राप्त है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह सात दिवस की अवधि में मेरे अभिभाष्य से संपर्क कर, विक्रय व हस्तान्तरण के संबंध में अपनी आपत्ति/उज्र कर सकेगी। सात दिवस की अवधि उपरान्त कोई आपत्ति/उज्र मान्य नहीं होगा। सूचित रहे।

भवदीय
जयपुर, दिनांक: 17.04.2026 (K. R. Choudhary) ADVOCATE, मो.: 9001222282

नियम 130 व 131)

अपील की सूचना के अन्तर्गत धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023

न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर ।। जयपुर

दिनांक: 28/04/2026

मनोज कुमार जांगिड़ बनाम राज्य सरकार व अन्य

अपील/निगरानी सं. 73/2025

अपील/निगरानी विरुद्धआदेश दिनांक 03/10/2025 के न्यायालय ए सी जे एम नं. 3 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय मुकदमा नं. मुकदमा नंबर 108/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(2), 318 (4) सपठित धारा 61 (2), (ए) बी एन एस एस 2023 को धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि अपीलाण्ट को उपरोक्त अपील /रिविजन इस न्यायालय में दिनांक 28/04/2026 को बजे 7.30 ए एम. पर सुनी एवं निर्णीत की जावेगी।

बनाम

गुलफाम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार पार्टनर ए के ट्रेडिंग कम्पनी निवासी सी-587, भट्टा बस्ती, -शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान 302016

(मोहर) वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

उद्‌घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 14/2026

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम श्रीमती विमलेश गुप्ता पत्नि विश्वंभर दयाल गुप्ता व अन्य ने

विवाद स्थान पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर के क्षेत्राधिकार

मृतक विश्वंभर दयाल गुप्ता के द्वारा छोडी गई Fixed Deposits in BOB 60/186 रजत पथ न्यू सांगानेर रोड के पास जयपुर की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 14/5/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम विश्वंभर दयाल गुप्ता पुत्र देवकी नन्दन गुप्ता जाति महाजन निवासी 51/29 शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 14 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 10 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-शिरस्तेदार
(मोहर अदालत) अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर

मूलचन्द वर्मा विरूद्ध बाबूलाल व अन्य वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद सं. 178 /2025

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रामदेव, निवासी नृसिंहपुरा, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी ने आपके विरूद्ध वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 27 माह 05 सन् 2026 को दिन में 10.00 ए.एम बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में होगा।

यह वाद ता. 10 माह. 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(मोहर अदालत) उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/2134/539

चूंकि प्रार्थी श्री ABHISHEK GUPTA, WARD NO. 36, TULARA MARRIAGE HOME KE PICHE, GANGAPUR CITY, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, 322201 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास

खेल सेतु फाउंडेशन, PLOT NO. 20, GANGA SAGAR VISTAR, JAGDAMA COLONY, AGRA ROAD, JAIPUR -302031 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 23/06/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक :- जसअ / 2026 / 30 दिनांक : 16.04.2026

ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 1-2 / 2026-27

नगर निगम जयपुर के विभिन्न कार्यो हेतु पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2627WSOB00052 to JMC2627SLOB00053 पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद / सी / 26 / 998 उपायुक्त (गैराज)

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर

Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com, Phone No. 01423-230025

क्रमांकः-पंसगो / लेखाई-निविदा/2026/15 दिनांकः-15.04.2026

निविदा सूचना संख्या /2025-26

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यो / संकर्म हेतु सक्षम श्रेणी मे पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मे निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।

NIB NO online PFA2627A0012 To PFA2627A0018

UBN NO online- PFA2627WSOB00012 To PFA2627WSOB00018

विकास अधिकारी
पं.सं. गोविन्दगढ़ (जयपुर)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-312 **आम सूचना**

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287613 दिनांक 16/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी / लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
01	Rajesh Kumar Meena Slo C/O, Gaurdhan Singh Meena	श्रेष्ठ रियल टैक्नोलोजी प्रा.लि. निदेशक श्री गौरीशंकर गुप्ता	223	84.00 SQ. YARD	Private	KRISHAN KUNJ	Name Transfer	registered sale deed

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन -9 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता (मानसरोवर जोन) नगर निगम जयपुर

(सामुदायिक भवन, तारा नगर डी, खिरणी फाटक रोड, जयपुर)

क्रमांक :- ज.स.अ./2026/27 दिनांक :- 15/04/2026

ई-निविदा सूचना सं. अधि० अभि० (मानसरोवर जोन) - 03/2026-27

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि० अभि० (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org व http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2627WSOB00046 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 13.04.2026 को अपलोड करवा दिया जायेगा।

राज.संवाद/सी/26/1009 अधिशाषी अभियंता (मानसरोवर जोन) नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा) राज.

Mail Id-npkishangarhbas@gmail.com, PH.-01460-242233

क्रमांकः न.पा.कि.बास/2026/291 **आपत्ति सूचना** दिनांक 17/04/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 90-अ के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाईन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
		90 - क		
1	शहनाज बेगम	हसन मौहम्मद	वार्ड नं. 13 बासड़ा रोड़ शान्ती नगर कि. बास	703
2	अशोक कुमार, देवेन्द्र कुमार	राजेश कुमार	नई सब्जी मण्डी के पास हाईवे रोड़ कि.बास	611
3	सुनील कुमार	हुकम चंद	वार्ड नं. 04 बासकृपाल नगर कि. बास	604
4	तुषार अग्रवाल	नरेन्द्र कुमार	वार्ड नं. 16 गंज कि.बास	317
5	अरविन्द कुमार गीता देवी	राधेश्याम विक्रम यादव	मोठूका रोड़ कि.बास	326/212
6	अरविन्द कुमार गीता देवी	राधेश्याम विक्रम यादव	मोठूका रोड़ कि.बास	326/212
7	अरविन्द कुमार गीता देवी	राधेश्याम विक्रम यादव	मोठूका रोड़ कि.बास	326/212
8	अरविन्द कुमार गीता देवी	राधेश्याम विक्रम यादव	मोठूका रोड़ कि.बास	326/212
9	रेखा अग्रवाल शकुन्तला अग्रवाल	रमेश चंद अग्रवाल हरीश चंद अग्रवाल	रैणी मौहल्ला कि.बास	512
10	रेखा अग्रवाल शकुन्तला अग्रवाल	रमेश चंद अग्रवाल हरीश चंद अग्रवाल	रैणी मौहल्ला कि.बास	512
11	रेखा अग्रवाल शकुन्तला अग्रवाल	रमेश चंद अग्रवाल हरीश चंद अग्रवाल	रैणी मौहल्ला कि.बास	512

उपरोक्त व्यक्ति को 90-अ एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 07 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका किशनगढ़बास